

कार्यालय जिला परिषद
(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जालोर

माक एफ 7 / बीएसआर / 13-14 / 1883-1907 दिनांक 28/5/13

- 1 अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पंचायतीराज), जालोर ।
- 2 अधीक्षण अभियंता सानिवि / पीएचईडी / जोविविनिवि जालोर ।
- 3 आयुक्त, नगर परिषद, जालोर ।
- 4 अधिशाषी अभियन्ता सानिवि-खण्ड-जालोर / भीनमाल / साचौर
- 5 अधिशाषी अभियन्ता, जल ससाधन, जालोर ।
- 6 अधिशाषी अभियन्ता पी0एच0ई0डी0 जालोर / भीनमाल / साचौर ।
- 7 उपवन संरक्षक, वन विभाग जालोर ।
- 8 कार्यक्रम अधिकारी (एमजी नरेगा) एवं विकास अधिकारी, प स समस्त (जालोर) साचौर
- 9 अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका-भीनमाल / साचौर
- 10 अधिशाषी अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना साचौर
- 11 अधिशाषी अभियन्ता, जवाई नहर परियोजना सुमेरपुर (जिला-पाली) ।

विषय : श्रम विभाग द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.01.2013 से पुनरीक्षित करने के क्रम में।

संदर्भ : अधीक्षण अभियंता (ग्रावि), ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक 27/29 ग्राविवि/अनु3/जीकेएन/विविध/1-14, जयपुर दिनांक 16.5.2013 के क्रम में।

संदर्भित पत्र एवं श्रम विभाग की अधिसूचना, जयपुर दिनांक 29.04.2013 की प्रति सलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय योजनाओं में (महात्मा गांधी नगर को छोड़कर) दिनांक 01.01.2013 से मजदूरी की न्यूनतम दरें अकुशल की रूपये 166/- प्रतिदिन एवं अर्द्धकुशल रूपये 176/- प्रतिदिन) श्रम विभाग की अधिसूचना अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावे।

कुशल 450/-

संदर्भित पत्र एवं श्रम विभाग की अधिसूचना की प्रति सुलभ-दर्शन हेतु सलग्न है।

सलग्न - उपरोक्तानुसार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जालोर

दिनांक